आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– BRRDA(HQ)-PMGSY-304/2015 - 6391 /पटना, दिनांक– 15-11-17

प्रेषक,

संजय कुमार, भा०प्र०से०
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय :प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत **शेखपुरा** जिला में **Ghat Kusumbha** प्रखंड के **Package No BR-31B-L021, Sirari Koyal to Alapur** पुल जिसकी लम्बाई–**43.600** मी0 तथा जिनकी निर्माण तथा अनुरक्षण सहित अंकित पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि रू0 **159.185** लाख **(एक करोड़ उनसठ लाख अठारह हजार पाँच सौ रूपये)** मात्र है, पर पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पूर्व में बिहार राज्य के **शेखपुरा** जिला में पत्रांक–**1238** अनु0, दिनांक–**05.07.2012,** से प्राप्त प्रशासनिक अनुमोदन के प्राक्कलन को अद्यतन दर पर पुनरीक्षण किया गया है। यह पुनरीक्षण ग्रामीण कार्य विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या–4168, दिनांक–22.06.09 के आलोक में किया गया है। पुनरीक्षण के पश्चात बढ़ी हुई अतिरिक्त राशि का व्यय राज्य योजना से किया जाना है। उपर्युक्त वर्णित स्वीकृत्यादेशों के अनुसार पूर्व में प्रदत्त कुल रू0 **144.454** लाख की प्रशासनिक स्वीकृति को उत्क्रमित करते हुए **1** अदद योजना लम्बाई **43.600** मी0 के उन्नयन/चौड़ीकरण /सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु निर्माण तथा अनुरक्षण सहित अंकित राशि के अनुरूप कुल रू0 **159.185** लाख **(एक करोड़ उनसठ लाख अठारह हजार पाँच सौ रूपये)** मात्र की राशि के लिये पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

इस योजना की स्वीकृति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की गयी है:–

(क) यह सुनिश्चित किया जाये कि पथ में Cross Drainage Structure की पर्याप्त व्यवस्था हो।
(ख) योजना के लिए कार्यपालक अभियंता से विस्तृत कार्य योजना मांगी जाये और उसके अनुरूप कार्यो को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराया जाये।
(ग) यह सुनिश्चित किया जाये कि योजनाओं का कार्यान्वयन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानों के अनुरूप हो।

3. ग्रामीण कार्य विभाग के संबंधित कार्य प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गदर्शिका के अनुसार मानक निविदा अभिलेख पर e-tendering पद्धति से निविदा के माध्यम से कराया जायेगा।

4 योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

5. यह एक केन्द्रीय योजना है जिसका कार्यान्वयन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा–निर्देश के आलोक में किया जाना है। पथ निर्माण के लिये मूल स्वीकृत राशि का 60 प्रतिशत का वहन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एवं 40 प्रतिशत सरकार द्वारा PMGSY के लिए निर्धारित Matching State Share के माध्यम से किया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार दर पुनरीक्षण के कारण लगने वाली अधिकाई राशि का वहन विभाग के योजना बजटशीर्ष–4515 नई सड़कें एवं पुल मद में PMGSY (राज्यांश) मद में प्राप्त होने वाली राशि से किया जाएगा।

6. पथ निर्माण के लिये मूल स्वीकृत राशि रू0 144.454 लाख के 60 प्रतिशत का वहन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एवं 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा PMGSY के लिए निर्धारित Matching State Share के माध्यम से किया जाना है। राज्य सरकार के द्वारा पूर्व में संकल्प संख्या–4168, दिनांक–22.06.2009 के माध्यम से लिये गये निर्णय के अनुसार दर पुनरीक्षण के कारण मूल स्वीकृत राशि के अतिरिक्त लगने वाली अधिकाई राशि का वहन भी राज्य योजना मद 4515 में विभाग को स्वीकृत उद्व्यय एवं आवंटन से वहन किया जाएगा।

7 वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758/वि0, दिनांक–31.05.2017 के प्रावधानित बिन्दुओं तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में राशि व्यय किया जाना अपेक्षित है।

8. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8 योजना के कार्यान्वयन के क्रम में कार्यान्वयन अंतराल पर निर्धारित निरीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा। यह संबंधित कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा कि निरीक्षण विवरणी विहित प्रपत्र में निर्धारित चरणवार अभिलेखबद्ध किया जायेगा तथा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

9 संबंधित कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग विहित प्रपत्रों एवं अन्तराल पर योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निश्चित रूप से अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

10. इस योजना के स्वीकृति सक्षम प्राधिकार से संचिका संख्या BRRDA(HQ)-PMGSY 304/2015, दिनांक–.....09............ को संचिका के पृ0–25.09.17/टि0 पर प्राप्त है।

11. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– एवं– 4–45/94–301वि (2), दिनांक 31.01.1995, वित्त विभाग के पत्रांक स्कीम (8)–11–2005–5090वि (2), दिनांक 15.09.2005, वित्त विभाग के पत्रांक एम–4–53/2007–2199/वि0, दिनांक–24.03.2017, के प्रावधानों एवं वित्त नियामावली, खण्ड–1 के नियम 8 के दृष्टिपथ में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। ग्रामीण कार्य विभाग के संकल्प संख्या–मु०अ०–4–PMGSY-5-17/09-4168, दिनांक– 22.06.09 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–BRRDA(HQ)–PMGSY–304/2015 के पृ0–.....13.../टि0 पर दिनांक–..09.11.17..... को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

14.11.17

(संजय कुमार)

अपर सचिव

ज्ञापांक : BRRDA(HQ)-PMGSY-304/2015 - 6391 /पटना, दिनांक–15.11.17

प्रतिलिपि : संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.11.17

अपर सचिव

ज्ञापांक : BRRDA(HQ)-PMGSY-304/2015 - 6391 /पटना, दिनांक–15.11.17

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/ मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, शेखपुरा/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रा0 का० वि०, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता–2, ग्रा0 का0 वि0/अभियंता प्रमुख के सचिव (प्रा0), ग्रा0 का0 वि0/अधीक्षण अभियंता, ग्रा0 का0 वि0, कार्य अंचल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, ग्रा0 का0 वि0, कार्य प्रमंडल– शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.11.17

अपर सचिव